अध्याय I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती हैं। सितम्बर 2013 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2012–13 में ₹ 4,857.63[1] करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। बिहार राज्य की सा0क्षे0उ0 की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 1,109.82[2] करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2013 को उन्होंने 0.16 लाख[3] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2013 को कुल 71 सा0क्षे0उ0 में कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

तालिका संख्याः 1.1

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[4]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[5]	28	40	68
सांविधिक निगमें	3	–	3
योग	31	40	71

1.3 उपरोक्त 28 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में छः कम्पनियाँ यथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (16 अप्रैल 2012 को समामेलित), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (29 जून 2012 को समामेलित), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (29 जून 2012 को समामेलित), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लिमिटेड (29 जून 2012 को समामेलित), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लिमिटेड (6 जुलाई 2012 को समामेलित) एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (4 जनवरी 2013 को समामेलित) सम्मिलित हैं जिनका समामेलन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हुआ था।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत्त अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त

---

[1] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के ₹ 2,043.93 करोड़ सम्मिलित।
[2] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के ₹ 1,087.63 करोड़ सम्मिलित।
[3] 42 सा0क्षे0उ0 (तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के उपरांत उनके मानव संसाधन के बँटवारे सहित) के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
[4] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
[5] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती हैं (मानित सरकारी कम्पनी)।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि0रा0भ0नि0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि0रा0वि0नि0) की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

1.7 31 मार्च 2013 को, राज्य सा0क्षे0उ0 में ₹ 8,321.80 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्नवत् है:

तालिका संख्या: 1.2

(₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमें			कुलयोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	3376.34	3254.62	6630.96	185.53	776.26	961.79	**7592.75**
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	180.79	548.26	729.05	–	–	–	**729.05**
योग	**3557.13**	**3802.88**	**7360.01**	**185.53**	**776.26**	**961.79**	**8321.80**

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट–1*** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2013 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 91.24 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 8.76 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 44.97 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 55.03 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2007–08 के ₹ 8,699.47 करोड़ से 4.34 प्रतिशत घटकर 2012–13 में ₹ 8,321.80 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में प्रदर्शित है:

चार्ट संख्या – 1.1

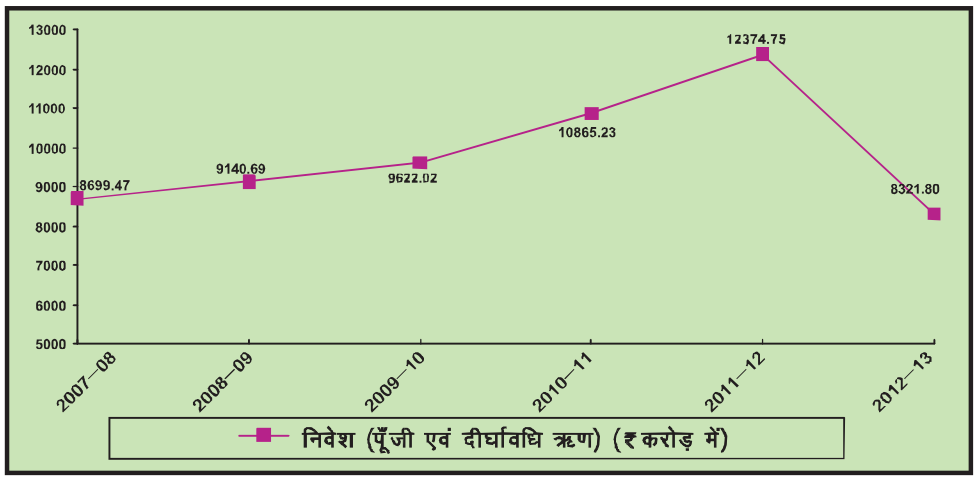

1.9 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2013 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। हालांकि इस वर्ष बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के फलस्वरूप दीर्घ अवधि ऋणों के वृहत् समायोजन के कारण यह 2007–08 के ₹ 7,047.75 करोड़ से 21.03 प्रतिशत घटकर 2012–13 में ₹ 5,565.45 करोड़ हो गया। 2007–08 की तुलना में 2012–13 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 66.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट संख्या – 1.2

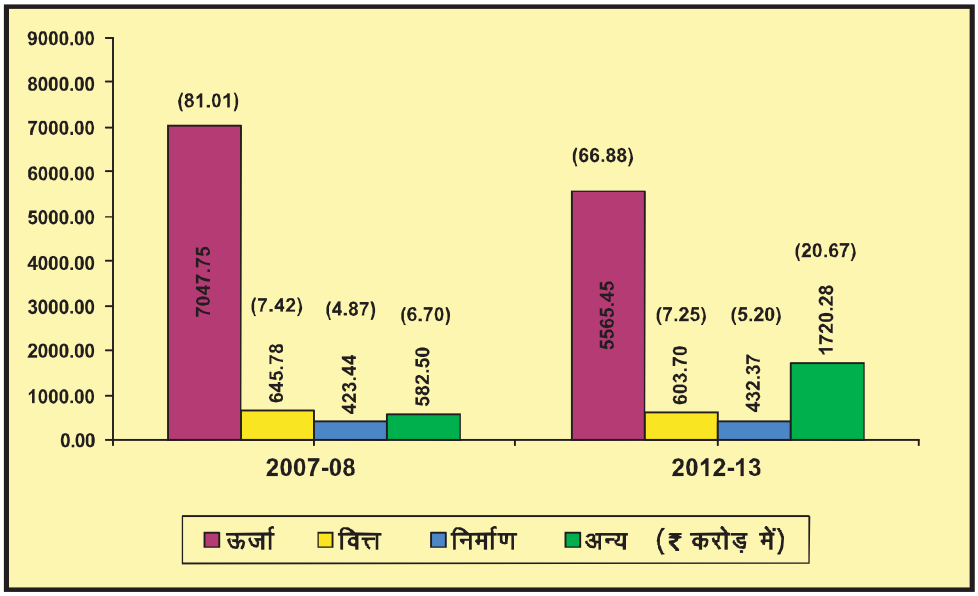

(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

1.10 राज्य सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य में बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट–2*** में दिया गया है। 2012–13 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है :-

तालिका संख्या – 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	3	41.29	2	2.00	4	1,481.94
2.	बजट से दिये गये ऋण	3	879.69	4	1,464.87	4[6]	677.17[7]
3.	प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य	3	1,103.50	1	2,120.24	6[8]	2,934.97[9]
4.	कुल बहिर्गमन[10]	7	2,024.48	6	3,587.11	11	5,094.08
5.	अपलिखित ब्याज/दांडिक ब्याज	–	–	–	–	–	–
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	1	194.58	–	–	–	–
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	1	31.85	1	3.47	2	73.06

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-

चार्ट संख्या – 1.3

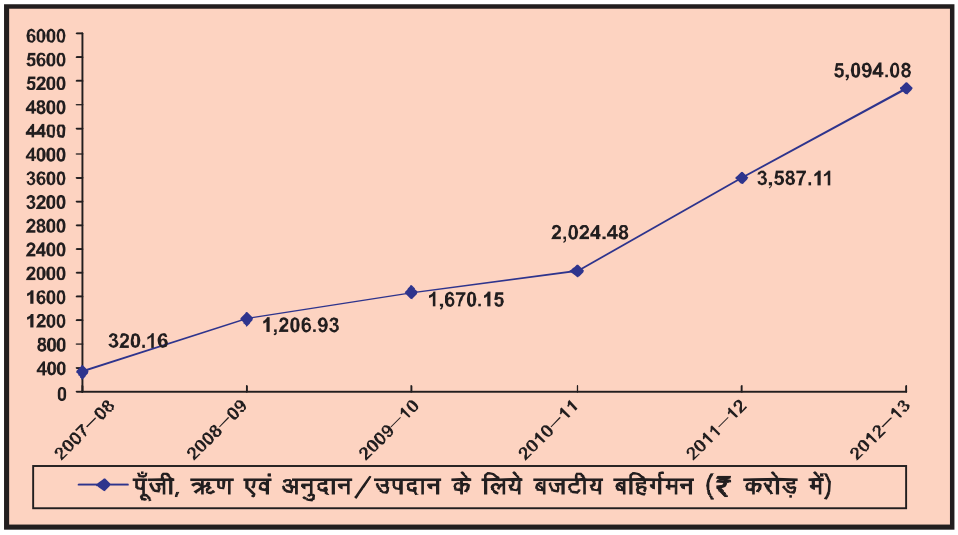

राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्य के रूप में 2007–08 से 2012–13 के वर्षों में बजटीय समर्थन बढ़ते हुए रुख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2007–08 के ₹ 320.16 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹ 5,094.08 करोड़ हो गया। वर्ष 2012–13 की अवधि में ₹ 5,094.08 करोड़ में से ऊर्जा क्षेत्र ने (तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित) राज्य सरकार से कुल ₹ 5,058.68 करोड़ (राज्य सरकार से प्राप्त कुल बजटीय समर्थन का 99.31 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के

[6] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[7] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण सम्मिलित है।
[8] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[9] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त अर्थसाहाय्य सम्मिलित है।
[10] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रूप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

अंत में, दो[11] सा0क्षे0उ0 के मामले में ऋणों की प्रत्याभूतियों के मद में कुल ₹ 73.06 करोड़ बकाया था। बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 1982–83 से ही प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 8.87 लाख देय थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन

1.12 राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2013 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:–

तालिका संख्या – 1.4

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त[12] लेखों के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	526.34	2,006.30	1,479.96
ऋण	17,031.95	2,813.72	14,218.23
प्रत्याभूतियाँ	987.88	73.06	914.82

1.13 प्रधान महालेखाकार द्वारा जाँचोपरांत समाशोधन के विषय को राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2011) जिस पर अद्यतन स्मारपत्र जून 2013 में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक (सितम्बर 2013) कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

1.14 सभी सा0क्षे0उ0 के वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट–3*** में वर्णित हैं। सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट 4*** **एवं** ***5*** में क्रमशः वर्णित हैं।

1.15 अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 31 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 135.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1,222.18[13] करोड़ की हानि वहन की। शेष छः सा0क्षे0उ0 में से एक कम्पनी ने अपना प्रथम लेखा समर्पित किया जिसमें केवल परिचालन पूर्व व्यय शामिल था एवं पाँच[14] कम्पनियों ने अभी तक (सितम्बर 2013) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किया था। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.36 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 24.15 करोड़) एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (₹ 12.42 करोड़) मुख्य थे। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अपैल 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि के लिए अपने अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार (₹ 1,087.63 करोड़) एवं अपने अद्यतन अन्तिमीकृत

[11] बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम।

[12] ये सूचनाएँ उन 39 सा0क्षे0उ0 (71 सा0क्षे0उ0 में से) के सम्बन्ध में हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों में किया गया है।

[13] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अपैल 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि में हुए हानि की राशि ₹ 1,087.63 करोड़ सम्मिलित हैं।

[14] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

लेखाओं के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 105.89 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

1.16 सी0ए0जी0 के विगत तीन वर्षो की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 2,495.44 करोड़ की नियंत्रणीय हानि वहन की, तथा ₹ 52.23 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष–वार विवरण नीचे दिए गए हैं :-

तालिका संख्या – 1.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	योग
सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ	1,539.24	852.42	103.78	2,495.44
निष्फलित निवेश	28.94	21.48	1.81	52.23

1.17 सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपर्युक्त सारणी सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों में कारगर प्रबन्धन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती हैं।

1.18 राज्य सरकार ने निवेश की गयी राशि पर आय सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सा0क्षे0उ0 को न्यूनतम लाभांश देना हो। 15 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 135.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया। हालांकि 15 कम्पनियों में से मात्र दो कम्पनियाँ यथा, बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य भंडार निगम ने क्रमशः ₹ एक करोड़ एवं ₹ 0.30 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी तालिका कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा सितम्बर 2013 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

तालिका संख्या – 1.6

क्रम संख्या	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.	कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	23	25	25	26	31[15]
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	15	17	34	23	26
3.	बकाए लेखों की संख्या	205	213	186	191	196
4.	प्रति सा0क्षे0उ0 का औसत बकाया (3/1)	8.91	8.52	7.44	7.35	6.32

[15] उक्त आँकडों में पाँच नयी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं जिनके व्यवसाय नवम्बर 2012 से आरम्भ हुए।

क्रम संख्या	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
5.	बकाए लेखों वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या	23	25	23	25	29
6.	बकाए लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 20	1 से 21	1 से 21	1 से 22	1 से 23

1.20 30 सितम्बर 2013 को 31 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल दो[16] सा0क्षे0उ0 ने अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 29 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 196 लेखे बकाया थे। 29 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 23 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2008–09 के 8.91 प्रति सा0क्षे0उ0 से घटकर 2012–13 में 6.32 प्रति सा0क्षे0उ0 हो गया था। लेखों के बकाये के कारण, लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थे।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखों का अन्तिमीकरण भी बकाए में थे। 31 मार्च 2013 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखों की सीमा 16 से 34 वर्षों तक था।

1.22 जैसा कि ***परिशिष्ट–6*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 33 सा0क्षे0उ0 में ₹ 5,217.72 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 1579.10 करोड़, ऋण : ₹ 2,237.65 करोड़, अनुदान : ₹ 199.04 करोड़ तथा अन्य : ₹ 1201.93 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य से निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ अथवा नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

1.23 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति की सूचना सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों एवं सरकार के पदाधिकारियों को दी गई (अक्टूबर 2013)। अपितु इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

1.24 उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

[16] बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.25 31 मार्च 2013 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2013 को सात सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अंतर्गत थे। 2012–13 की अवधि में एक[17] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय इत्यादि पर ₹ 0.14 करोड़ का व्यय किया।

1.26 31 मार्च 2013 को अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं:-

तालिका संख्या – 1.7

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से :			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	4[18]	–	4
(ब)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	3[19]	–	3

1.27 वर्ष 2012–13 के दौरान किसी सा0क्षे0उ0 का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 13 वर्षों के अधिक समय से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होता है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को, शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.28 वर्ष 2012–13[20] में 13[21] कायशील कम्पनियों ने अपने 21 लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से कम्पनियों के 17 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

---

[17] बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

[18] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड।

[19] बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड।

[20] अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक।

[21] ***परिशिष्ट–3*** की क्रम संख्या अ1, अ6, अ8, अ10, अ11, अ12, अ13, अ16, अ23, अ24, अ25, अ26 एवं अ28।

तालिका संख्या – 1.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2010–11		2011–12		2012–13	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	4	5.59	6	64.86	5	8.76
2.	हानि में वृद्धि	9	17.17	4	17.19	7	7.28
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	शून्य	शून्य	1	3.71	1	2.70

1.29 वर्ष 2012–13 के दौरान 13 कम्पनियों द्वारा अन्तिमीकृत सभी 21 लेखाओं पर सशर्त गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है क्योंकि वर्ष के दौरान सात[22] लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 15 मामले पाये गये।

1.30 वर्ष 2012–13 में कम्पनियों के अन्तिमीकृत लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:–

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी को भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, से भवन निर्माण हेतु निधि प्राप्त हुई। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत कम्पनी को भवन का स्वामित्व हस्तांतरित कर गैर–चालू दायित्वों को पूर्ण निर्माण कार्य की राशि से कम करना चाहिए था। कार्य, जो प्रगति में थे और हस्तान्तरित नहीं किए गए थे, को गैर–चालू सम्पितियों के अन्तर्गत बतौर प्रगति में दर्शाया जाना चाहिए था। हालाँकि कम्पनी ने प्रगति में कार्य की राशि ₹ 10.22 करोड़ से गैर–चालू दायित्वों को कम कर दिया। इसके फलस्वरूप ₹ 10.22 करोड़ से गैर–चालू सम्पत्तियों एवं गैर–चालू दायित्वों का अंत:प्रदर्शन हुआ।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2011–12)

अल्पावधि प्रावधानों में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लिए आयकर के विरूद्ध ₹ 45.83 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है। तथापि, उपरोक्त अवधि के लिए वास्तविक आयकर की राशि ₹ 39.28 करोड़ मात्र थी और इसलिए ₹ 6.55 करोड़ के आधिक्य प्रावधान को लेखाओं में वापस लिए जाने चाहिए थे।

लेखाओं में वापस नहीं लिए जाने के फलस्वरूप ₹ 6.55 करोड़ से लाभ का अंत:प्रदर्शन, ₹ 45.83 करोड़ से 'अल्पावधि प्रावधानों' का एवं ₹ 39.28 करोड़ से अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन हुआ।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी ने वर्ष 2011–12 की अवधि में ₹ 17.15 करोड़ का निर्माण कार्य किया। बिहार सरकार के आदेश एवं लेखांकन मानक–9 के अनुसार कम्पनी बतौर सेंटेज एवं आकस्मिक आय ₹ 1.54 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त करने की हकदार थी। तथापि कम्पनी ने अपने लेखाओं में सेंटेज एवं आकस्मिक आय के मद में ₹ 6.59 करोड़ का राजस्व दर्शाया।

इसके फलस्वरूप ₹ 5.05 करोड़ से परिचालन राजस्व व लाभ का अधिप्रदर्शन एवं अन्य दीर्घावधि दायित्वों का अंत:प्रदर्शन हुआ।

[22] ***परिशिष्ट–3*** की क्रम संख्या अ1, अ6, अ8, अ11, अ13, अ16, एवं अ28।

बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी की अन्य आय में कम्पनी द्वारा अप्रैल 2011 में भूलवश प्राप्त राज्य स्वास्थ्य समिति की निधि (₹ 65.67 करोड़) पर अर्जित ₹1.64 करोड़ की ब्याज आय सम्मिलित थी तथा सितम्बर 2012 में कम्पनी द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को यह राशि बिना ब्याज वापस कर दी गयी थी। चूँकी कम्पनी ने राज्य स्वास्थ्य समिति की निधि पर ब्याज अर्जित किया था, अतः ब्याज की राशि को निधि खाते में हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था। अपितु कम्पनी ने इसे अपनी आय में शामिल कर लिया, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ से अन्य आय व लाभ का अधिप्रदर्शन एवं चालू दायित्वों का अंतःप्रदर्शन हुआ।

1.31 इसी प्रकार, 2012–13 के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने तीन लेखाएँ प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को अग्रसारित किया। बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार राज्य भंडार निगम[23] की लेखे, लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी नीचे दी गयी है :-

तालिका संख्या– 1.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2010–11		2011–12		2012–13	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	17.34	1	0.33	1	0.19
2.	हानि में वृद्धि	2	9,267.22	1	1,888.94	शून्य	शून्य
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	2.70
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	7.85	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.32 वर्ष 2012–13 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये एक सांविधिक निगम यथा बिहार राज्य वित्तीय निगम के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :-

बिहार राज्य वित्तीय निगम (2011–12)

₹ 66.53 करोड़ के आकस्मिक दायित्वों में ₹ 4.05 करोड़ की वैसी राशि सम्मिलित नहीं थी, जो कि आयकर विभाग द्वारा माँगी गयी तथा जिसके विरुद्ध निगम द्वारा ₹ 1.35 करोड़ अदा किया गया एवं इससे सम्बन्धित मामला आयकर अपीलीय प्राधिकार में लम्बित था। इस प्रकार लेखाओं में आकस्मिक दायित्व का उचित प्रदर्शन किया जाना चाहिए था।

1.33 सांविधिक अंकेक्षकों (सनदी लेखाकारों) को सी0ए0जी0 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली, आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2011–12 के लिए 12 कम्पनियों[24] तथा

[23] इसकी लेखापरीक्षा समाप्त हो चुकी है परन्तु लेखा टिप्पणियों का अन्तिमीकरण होना शेष है।

[24] ***परिशिष्ट–3*** की क्रम संख्या अ3, अ4 अ6, अ8, अ9, अ11, अ12, अ16, अ17, अ18, अ20 एवं स17।

2012–13 के लिए 13 कम्पनियों[25] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण में सम्भव सुधार पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों के निदर्शीसार का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या– 1.10

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसाएँ की गयीं	परिशिष्ट–2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	पुर्जे एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	05	अ–1, अ–8, अ–28, स–4, स–17.
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	05	अ–12, अ–23, अ–25, अ–26, स–4.
3.	परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, अचल सम्पत्तियों के ह्रासित मूल्य सहित अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना।	10	अ–1, अ–8, अ–10, अ–11 अ–13, अ–16, अ–25, अ–28, स–4, स–17.

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.34 2012–13 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ₹ 12.18 करोड़ रुपये की वसूली के मामले इंगित किए गए थे, जिनमे से ₹ 5.56 करोड़ के मामले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2012–13 में, ₹ 2.25 करोड़ की राशि, जो 2011–12 से पहले की अवधि से सम्बन्धित थे, की वसूली की गयी।

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.35 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखे पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है।

तालिका संख्या– 1.11

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई		
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2010–11	2011–12	19 दिसम्बर 2012	प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का
2.	बिहार राज्य भंडारण निगम	2007–08	2008–09	28 फरवरी 2011	

[25] *परिशिष्ट–3* की कम संख्या अ1, अ8 अ10, अ11, अ12, अ13, अ16, अ23, अ25, अ26, अ28, स4 एवं स17।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई		
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2010–11	2011–12	23 मार्च 2013	कारण, सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
4.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2002–03 (29) विवरण		
			1991–92	09 जून 1997	
			1992–93	02 सितम्बर 1998	
			1993–94	02 सितम्बर 1998	
			1994–95	04 दिसम्बर 1998	
			1995–96	18 अप्रैल 2000	
			1996–97	19 मार्च 2004	
			1997–98	19 अक्टूबर 2004	
			1998–99	12 अप्रैल 2005	
			1999–2000	07 अक्टूबर 2005	
			2000–01	24 सितम्बर 2007	
			2001–02	26 अक्टूबर 2007	
			2002–03	25 जनवरी 2010	

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में दिसम्बर 2010 में लाया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र दिसम्बर 2012 भेजा गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.36 राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसंरचना के लिए 2012–13 में कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकी राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का, "बिहार राज्य विद्युत सुधार स्थानान्तरण योजना 2012" के अंतर्गत पुनर्गठन कर पाँच कम्पनियों में विघटित किया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुर्नसंरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[26] के सम्बन्ध में ही किया गया था (सितम्बर, 2013)।

[26] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।